57

XXXX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – निग0 2174–एक/14 जिला – भिण्ड

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13.3.15	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा प्रकरण क्रमांक 23/2013–14/अ.मा. में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 16–7–14 के विरूद्ध पेश की गई है । आलोच्य आदेश द्वारा अनुविभागीय अधिकारी ने अनाावेदिकाओं द्वारा उनके समक्ष अपील के साथ प्रस्तुत अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन को स्वीकार किया गया है । 2/ दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया एवं अभिलेख का तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया गया । इस प्रकरण में विवादित भूमि के भूमिस्वामी धनपाल थे, ग्राम पंचायत द्वारा धनपाल की मत्यु के उपरांत आवेदक का नामांतरण वारिसाना आधार पर वर्ष 2004 में किया गया । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदिकाओं द्वारा इस आधार पर अपील पेश की गई कि वे मृतक धनपाल की पुत्रियां होकर प्रथम श्रेणी की वारिस हैं फिर भी उन्हें बिना सूचना दिए और नामांतरण नियमों का पालन किये नामांतरण आदेश पारित किया गया है । अपील के साथ उनके द्वारा अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन भी पेश किया गया, जो अनुविभागीय अधिकारी ने दोनों पक्षों को सुने जाने के उपरांत स्वीकार किया है । अनुविभागीय अधिकारी ने यह माना है कि अनावेदिकायें मृतक की पुत्रियां होने से उन्हें सूचना देना आवश्यक था, जो उन्हें नहीं दी गई और इस कारण नामांतरण कार्यवाही को अवैध मानते हुए अवधि विधान के अंतर्गत जो विलंब है उसे सद्भाविक होने के कारण क्षमा किया है । विलंब क्षमा करने का विवेकाधिकार अधीनस्थ न्यायालय के विवेक पर रहता है और प्रकरण में जो तथ्य आए हैं उनसे कहीं भी यह प्रकट नहीं होता कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने विवेक का न्यायिक रूप से उपयोग नहीं है । ऐसी परिस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पुष्टि करते हुए यह निगरानी निरस्त की जाती है । सदस्य	

न्यायालय : राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर ।

प्रकरण क्र0 : / R 2174-I/14

श्री राम सेवक शर्मा, अभि0
द्वारा आज दि. 21-7-14 को
प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 21-7-14
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर
3.00 P.M

सुरेश पुत्र श्री हरनारायण, जाति बारी (रावत) आयु 58 वर्ष, व्यवसाय खेती, निवासी वार्ड नं0 14, माता वाली गली, मेहगांव, जिला भिण्ड (म0 प्र0) ।

- आवेदक

विरूद्ध

1- कमला देवी पुत्री श्री धनपाल पत्नी श्री राम स्वरूप, आयु 70 वर्ष, निवासी कस्बा मेहगांव हाल निवासी - बी 07, गोविन्दपुरी, ग्वा0।

2- श्यामा देवी पुत्री श्री धनपाल पत्नी श्री साधूराम, आयु 67 वर्ष, जाति बारी (रावत) निवासी मेहगांव, हाल निवास - बलोखरा, थाना पिनाहट, जिला आगरा (उ0 प्र0) ।

- अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 (को) नये संशोधन अधिनियम 2011 म0 प्र0 भू0रा0 संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 16-7-2014 द्वारा पारित न्यायालय एस0 डी0 ओ0 मेहगांव प्रकरण क्र0 23/2013-2014 अपील माल कमला देवी बनाम सुरेश के निर्णय से दुःखी होकर ।

================

श्रीमान् जी,

आवेदक की निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

1- यह कि, वांके ग्राम बहारपुरा, परगना मेहगांव, जिला भिण्ड के स्थित सर्वे क्र0 200 रकबा 0.75 आवेदक के स्वामित्व एवं आधिपत्य की है तथा मौके पर आवेदक का कब्जा है ।

2- यह कि, प्रकरण में वर्णित भूमिया आवेदक के चाचा धनपाल के उनके जीवनकाल में सेवा-सुश्रुषा करने पर उनके द्वारा वसीयत मुझ आवेदक के पक्ष में की गई तथा उक्त वसीयतनामा पर स्वयं अपीलांट के पति के